रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02072021-228047
CG-DL-W-02072021-228047

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 09] नई दिल्ली, जून 20— जून 26, 2021, शनिवार/ ज्येष्ठ 30 — आषाढ़ 5, 1943
No. 09] NEW DELHI, JUNE 20— JUNE 26, 2021, SATURDAY/ JYAISTHA 30 — ASHADHA 5, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 मई, 2021

का.नि.आ. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सशस्त्र सेना चिकित्सा स्टोर डिपो, तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) समूह "क" पद भर्ती नियम, 2010 के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) की भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, महानिदेशक सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) और सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा) समूह "क" पद भर्ती नियम 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान** .— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतन मान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **लागू होना** :- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** .—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता**.— वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने कि शक्ति**.— जहां केन्द्रीय सरकार कि यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैं, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों कि बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) तकनीकी इंजीनियर अधिकारी, (जैव-चिकित्सा)	01* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700/- रू)	चयन	लागू नही होता	लागू नही होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नही होता	लागू नही होता	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा मे वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा ।
(11)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500/- रु) में ऐसे सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी, (जैव-चिकित्सा) जिन्होने उस श्रेणी में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो । **टिप्पण** : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमे से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति पर विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है :- 1. संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय – अध्यक्ष, 2. अपर महानिदेशक , सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ऊपस्कर और स्टोर) – सदस्य, 3. निदेशक या उप सचिव (सिविलियन कार्मिक)- – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) सहायक तकनीकी इंजीनियर अधिकारी (जैव-चिकित्सा)	07* (2021) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित (अननुसचिवीय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर- 10 (रू 56100 - 177500/- रु)	लागू नही होता ।	35 वर्ष के अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार साधारण अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवको के लिए 40 वर्ष तक I) **टिप्पण :-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लाहोल और स्पीति जिले और हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, संघ शासित प्रदेश लद्दाख, तथा अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।)	**<u>आवश्यक:-</u>** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरी में बैचलर या मास्टर डिग्री या इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोद्योगिकी या जैब चिकित्सा इंजीनियरी या प्रोद्योगिकी में बैचलर या मास्टर डिग्री । **<u>अनुभव-</u>** एक्स-रे और इलेक्ट्रोचिकित्सीय या जैव चिकित्सा या सहबद्ध इलेक्ट्रोनिक् उपस्करों की मरम्मत और सर्विसिंग मे दो वर्ष का व्यावहारिक अनुभव ।

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नही होता	एक वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :-** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रिय सरकार के निम्नलिखित अधिकारीयों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी :- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है : या (ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स स्तर 9 (53100-167800/-) या वेतन मैट्रिक्स स्तर 8 (47600-151100/- रु) में समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर उस श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा की हो : (ख) स्तंभ (7) के अधीन निर्धारित शैक्षिक अर्हतायेँ और अनुभव रखते है ।	लागू नही होता

(12)	(13)
विभागीय पुष्टिकरण समिति पर विचार करने के लिए जो निम्नलिखित से मिलकर बनी है :- 1. अपर महानिदेशक , सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा (ऊपस्कर और स्टोर) – अध्यक्ष, 2. उप महानिदेशक , सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा – सदस्य, 3. निदेशक या उप सचिव (सिविलियन कार्मिक)- – सदस्य	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. 11375/आर. आर./ टी इ ओ-ए टीइऔ/डीजीएएफएमएस/डीजी-2बी]

देवेन्द्र कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th May, 2021

S.R.O. 17.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Armed Forces Medical Stores Depot, Technical Engineer Officer (Bio-Medical) and Assistant Technical Engineer Officer (Bio-Medical) Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Technical Engineer Officer (Bio-Medical) and Assistant Technical Engineer Officer (Bio-Medical) in the Director General Armed Forces Medical Services, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Director General Armed Forces Medical Services, Technical Engineer Officer (Bio-Medical) and Assistant Technical Engineer Officer (Bio-Medical) Group 'A' Posts, Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—** These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the schedule annexed to these rules.

3. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and Level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age-limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Technical Engineer Officer (Bio-Medical)	01* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non-ministerial.	Level-11 (Rs.67700-208700/-) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by transfer or by deputation and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)
Promotion: Assistant Technical Engineer Officer (Bio-Medical) in the pay level-10 (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to his next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary, Ministry of Defence - Chairman; 2. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores) - Member; 3. Director or Deputy Secretary (Civilian Personnel) - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Assistant Technical Engineer Officer (Bio-Medical).	07* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-ministerial.	Level-10 , (Rs. 56100-177500/-) in the pay matrix.	Not applicable.	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government). **Note**: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territory of Ladakh, Union territory of Andaman and Nicobar Island and Union territory of Lakshadweep.

(7)	(8)	(9)	(10)
<u>Essential:-</u> Bachelor or Master Degree in Engineering or Technology in Electronics or Bachelor or Master Degree in Bio-Medical Engineering or Technology from a recognised university or Institute. **Experience:** Two years experience in repair and servicing of X-Ray and Electro Medical or Bio-Medical or allied electronic equipment.	Not applicable.	One year.	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government :- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years regular service in posts in the pay level-9 (Rs. 53100-167800/-) in the pay matrix or pay level-8 (Rs. 47600-151100/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

(11)
Not applicable.

(12)	
Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-	
1. Additional Director General Armed Forces Medical Services (Equipment and Stores)	- Chairman;
2. Deputy Director General Armed Forces Medical Services	- Member;
3. Director or Deputy Secretary (Civilian Personnel) Ministry of Defence	- Member.

(13)
Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. 11375/RR/TEO-ATEO/DGAFMS/DG-2B]

DEVENDRA KUMAR, Under Secy.

(पूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.नि.आ. 18.— सेवाएं, या फायदों या सहायिकियों के परिदान हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का प्रयोग सरकारी परिदान की प्रक्रियाओं को सरलीकृत बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति से उनकी हकदारिता सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और लोगों की निर्वाह सुगमता को बढ़ावा देते हुए तथा 'सुशासन सुनिश्चित करने हेतु डिजिटल प्लेटफार्म के प्रयोग' हेतु उनकी सेवाओं तक बेहतर पहुंच को सक्षम बनाते हुए सुशासन के हित में आधार प्रमाणीकरण की अनुज्ञा भी प्रदान करता है;

जबकि, समय-समय पर यथा उपांतरित सेना पेंशन विनियम, 1961, वायुसेना पेंशन विनियम, 1961 तथा नौसेना पेंशन विनियम, 1964 के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सशस्त्र सेनाओं के पेंशनभोगियों तथा परिवार पेंशनभोगियों (जिसे इसमें इसके पश्चात फायदाग्राहियों कहा गया है) को पेंशन दी जाती है और ऐसे फायदाग्राहियों को पेंशन का संवितरण रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक [पीसीडीए (पेंशन)] इलाहाबाद द्वारा प्रशासित वेब आधारित इंटरएक्टिव पेंशन संवितरण प्रणाली [जिसे इसमें इसके पश्चात स्पर्श (पेंशन प्रशासन हेतु प्रणाली (रक्षा) कहा गया है)] के माध्यम से किया जाता है ।

जबकि, पेंशन के पूर्वोक्त फायदा में भारत की समेकित निधि से आवर्ती व्यय सम्मिलत है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के नियम 5 के साथ पठित आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा (4) की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उप-खंड (ii) के उपबंधों के अनुसरण में, अधिसूचित करती है कि पेंशन फायदा प्राप्त करने हेतु पात्र व्यष्टिक स्पर्श में पहचान हेतु स्वैच्छिक आधार पर आधार अधिप्रमाणन का प्रयोग कर सकता है । इसके अतिरिक्त, पीसीडीए (पेंशन) इलाहाबाद के द्वारा आधार अधिप्रमाणन के संदर्भ में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा :

(i) उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों के अनुसार सहमति और आपत्ति निपटान से संबंधित उपबंधों का कार्यान्वियन कड़ाई से किया जाएगा।

(ii) फायदाग्राहियों को सेवाओं का लाभ उठाने हेतु पहचान की वैकल्पिक क्रिया विधि के बारे में सूचित किया जाए क्योंकि आधार अधिप्रमाणन का वर्तमान प्रयोग पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर है।

(iii) आधार आधारित अधिप्रमाणन की विफलता के कारण फायदाग्राहियों को किसी भी सेवा की मनाही नहीं होगी।

(iv) यह मानते हुए कि विशेष रूप से विद्यमान कोविड-19 महामारी के दौर में यह ज्यादा सही, स्पर्श रहित और सुरक्षित है, जहां कहीं अपेक्षित हो, आइरिस-आधारित बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन के प्रयोग को बढ़ावा देना।

(v) फायदाग्राहियों को आधार अधिप्रमाणन सेवाएं सहायता-प्राप्त मोड में भी उपलब्ध कराई जाएं।

(vi) उक्त अधिनियम के संगत उपबंधों, इसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों और अन्य अनुदेशों, समय-समय पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के द्वारा जारी किए गए, का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

2. फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और बाधा रहित फायदा प्रदान कराने हेतु पीसीडीए (पेंशन) इलाहाबाद सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(क) फायदाग्राहियों को मीडिया और अधिसूचनाओं के माध्यम से पेंशन फायदा की विस्तृत जानकारी दी जाएगी जिससे उनको योजना के अधीन आधार आधारित पहचान के स्वैच्छिक प्रयोग के बारे में जागरूक किया जा सके।

(ख) फायदाग्राहियों को सहायता-प्राप्त मोड में सेवाओं का लाभ उठाने हेतु सक्षम बनाने के लिए पोर्टल के जरिए स्पर्श सेवा केन्द्र के ब्यौरों का प्रचार करना।

(ग) जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हुए पहचान के वैकल्पिक मोड हेतु प्रक्रिया अधिसूचित करना।

(घ) स्पर्श में कहीं भी आधार संख्या प्रदर्शित नहीं की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो, आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंक प्रदर्शित किए जाएं।

(ङ) यूआईडीएआई द्वारा सहमति हेतु रिपोर्ट की शुरूआत करने और प्रस्तुत करने से पूर्व सीईआरटी-इन सूचीबद्ध आईएस आडिटर द्वारा लेखापरीक्षित वेब एवं मोबाइल एप सुनिश्चित करना। यूआईडीएआई द्वारा किए गए अन्य अनुवर्ती बदलावों का भी पालन किया जाए।

3. यह अधिसूचना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

परंतु कि यह अधिसूचना फायदाग्राहियों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए लागू नहीं होगी:

(i) अनिवासी भारतीय जो अन्य देश या विदेश में रहता है;

(ii) विदेश में बसा हुआ भारतीय जो अन्य देश अथवा विदेश का नागरिक है;

(iii) नेपाल अधिवासी, बर्मावासी और रक्षा पेंशनभोगियों के समान प्रवर्ग।

[फा.सं. 3(2)/2015/रक्षा (पेंशन/नीति)(पार्ट फाइल)]

डा.पूडी हरी प्रसाद, संयुक्त सचिव

(Department of Ex-Servicemen Welfare)

New Delhi, the 11th June, 2021

S.R.O. 18 .—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and also allow Aadhaar authentication in the interest of good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them for 'usage of digital platforms to ensure good governance';

Whereas, pension is given to Defence Forces Pensioners and Family Pensioners (hereinafter referred to as the beneficiaries) by the Department of Ex-Servicemen Welfare, Ministry of Defence in the Government of India under the Pension Regulations for Army, 1961, the Pension Regulations for Air Force, 1961, and the Pension Regulations for Navy 1964 as modified from time to time and the pension is disbursed to such beneficiaries through web based interactive pension disbursement system (hereinafter referred to as the SPARSH [System for Pension Administration (Raksha)]) administered by the Principal Controller of Defence Accounts (PCDA) (Pensions) Allahabad;

Whereas, the aforesaid benefit of pension involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India.

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub clause (ii) of clause (b) of sub-section(4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to the said Act) read with rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, the Central Government hereby notifies that an individual eligible to receive the pension benefits can use Aadhaar authentication on voluntary basis for identification in SPARSH. Further, the following guidelines with reference to Aadhaar authentication shall be adhered to by the PCDA (Pensions) Allahabad, namely: —

(i) Provisions related to consent and exception handling shall be implemented strictly in accordance with the provisions of the said Act and the rules or regulations made thereunder.

(ii) The beneficiaries may be informed alternate mechanism of identification for availing services as the instant usage of Aadhaar authentication is purely on voluntary basis.

(iii) There shall not be denial of any service to beneficiaries on account of failure of Aadhaar based authentication.

(iv) Encourage use of Iris-based biometric authentication, wherever required, considering that it is more accurate, contactless and safe particularly in current Covid-19 pandemic times.

(v) Aadhaar authentication services may be made available to the beneficiaries in assisted mode also.

(vi) Relevant provisions of the said Act, rules or regulations made thereunder and other instructions, issued by Unique Identification Authority of India (UIDAI) from time to time, shall strictly be complied with.

2. In order to provide convenient and hassle free pension benefits to the beneficiaries, the PCDA (Pensions) Allahabad shall make all the required arrangements including following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notifications shall be given to beneficiaries of pension benefits to make them aware of the voluntary use of Aadhaar based identification under the scheme.

(b) Publicise details of SPARSH Service Centre through portal to enable beneficiaries to avail services in assisted mode.

(c) Notify the procedure for alternate mode of identification by submitting life certificate.

(d) Aadhaar number shall not be displayed anywhere in SPARSH and wherever required only last four digits of Aadhaar number may be displayed.

(e) Ensure web and mobile application audited by a CERT-In empanelled IS Auditor before launch and submit report for concurrence by the UIDAI. Any subsequent changes made by the UIDAI may also be complied with.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories:

Provided that this notification shall not be applicable for the following categories of beneficiaries, namely:—

(i) Non-resident Indian who resides in other or foreign country;

(ii) Overseas settled Indian who is citizen of other or foreign country;

(iii) Nepal Domiciled, Burmese and similar categories of defence pensioners.

[F. No. 3(2)/2015/D(Pen/Pol)(Part File)]

Dr. PUDI HARI PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.07.02 08:59:59 +05'30'